UPSR010004382022

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– राकेश धर दुबे, (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02008

सेशन केस नं०–134/2022

राज्य उ0 प्र0 ....अभियोगी

बनाम

कासिम पुत्र स्व0 हफीज,
निवासी–लक्ष्मनपुर इटवरिया, थाना कोतवाली–भिनगा,
जनपद–श्रावस्ती।

.....................अभियुक्त

अ०सं०–225/2021
धारा–307 भा०दं०सं०
थाना–को0 भिनगा, जनपद–श्रावस्ती

<u>निर्णय</u>

1– अभियुक्त कासिम का विचारण पुलिस थाना को0 भिनगा, जनपद श्रावस्ती द्वारा मुकदमा अपराध सं० 225/2021 में विवेचना के उपरान्त प्रेषित आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 307 भा0दं0सं0 के आधार पर किया गया। अभियुक्त का केस सम्बन्धित मजिस्ट्रेट श्रावस्ती के न्यायालय द्वारा सत्र सुपुर्द किया गया।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैः– वादिनी मुकदमा गुलफिशा पुत्री स्व0 मो0 हफीज, निवासी लक्ष्मनपुर इटवरिया, थाना को0 भिनगा द्वारा दिनांक 01.08.2021 को प्रभारी निरीक्षक थाना को0 भिनगा, जनपद श्रावस्ती को इस आशय की तहरीर दिया कि उसकी उम्र 20 वर्ष है। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। उसका एक भाई हैं, जिसका नाम कासिम व भाभी सीबा सलमानी हैं। उसके कन्धे से कमर तक अक्सर दर्द होता रहता था जिसका इलाज कराने उसका भाई कासिम दिनांक 30.07.2021 को उसका एक साथी व ड्राइवर भूरे उर्फ सगीर पुत्र छोटकऊ निवासी मंगल भट्ठा थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती कार से लखनऊ दवा इलाज कराने हेतु ले गये साथ में उसकी भाभी भी थी। डाक्टर के न मिलने पर वापस आ रहे थे कि समय करीब 1.30 बजे रात में जब वे लोग घाघरा पुल पर पहुंचे तो उसके भाई

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.03.11 14:39:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कासिम ने ड्राइवर भूरे से कहा कि गाड़ी पंचर हो गयी है। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी उसका भाई कासिम व उसका दोस्त जिसका नाम पता नहीं जानती है वह भी गाड़ी से बाहर आयी तो सम्पत्ति हड़पने की लालच में उसके भाई व उसका दोस्त उसे जान से मारने की नियत से घाघरा नदी में फेक दिया वह बहती–बहती जा रही थी सुबह करीब 6.00 बजे वह हल्ला गुहार करती बहती जा रही थी तभी गांव के कुछ लोगों ने उसे निकाला और थाने ले गये। थाने से उसका दवा इलाज कराया गया फिर भिनगा थाने को सूचना दी गयी जहां से पुलिस वाले उसे भिनगा थाने लाये। वादिनी मुकदमा द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक/उचित कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

3– वादिनी मुकदमा की उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना को0 भिनगा, जनपद श्रावस्ती में दिनांक 01.08.2021 को समय करीब 20.34 बजे अपराध संख्या 225/2021, धारा 307 भा0दं0सं0 के अपराध के सम्बन्ध में अभियुक्त कासिम पुत्र स्व0 मो0 हफीज निवासी लक्ष्मनपुर इटवरिया, थाना को0 भिनगा जनपद श्रावस्ती व कासिम का दोस्त पुत्र अज्ञात थाना को0 भिनगा जनपद श्रावस्ती के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

4– सम्बन्धित पुलिस विवेचनाधिकारी द्वारा मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी तथा सम्बन्धित विवेचनाधिकारी ने आवश्यक अभियोजन साक्षीगण के बयान अंकित किये, घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया एवं मामले से सम्बन्धित आवश्यक विवेचना सम्पादित कर उपरोक्त अभियुक्त कासिम के विरूद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 307 भा0दं0सं0 के अपराध के सम्बन्ध में सम्बन्धित मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5– सम्बन्धित मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा मामले पर संज्ञान लिया गया। मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण अभियुक्त का उपरोक्त मामला सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया।

6– इस न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 21.04.2022 को अभियुक्त कासिम के विरूद्ध धारा 307 भा0दं0सं0 के अपराध के सम्बन्ध में आरोप विरचित किया गया, जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया और विचारण की मांग की।

7– अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित साक्षीगण को, मौखिक साक्ष्य के रूप में न्यायालय में परीक्षित कराया गया है।

1–पी०डब्लू०–1 गुलफिशा (साक्षी तहरीर प्रदर्श क–1)

2–पी०डब्लू०–2 राम विलास

3–पी०डब्लू०–3 भूरे उर्फ इरशाद अहमद

4–पी०डब्लू०–4 उ०नि० मुख्तार अहमद (साक्षी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2, कायमी जी०डी० प्रदर्श क–3)

5–पी०डब्लू०–5 एस0 ओ0 राजीव मिश्रा (साक्षी नक्शानजरी प्रदर्श क–4, मेडिकोलीगल रिपोर्ट छायाप्रति पीड़िता गुलशिफा प्रदर्श क–5, नकल रपट प्रदर्श क–6 मजरूबी चिट्ठी प्रदर्श क–7 व आरोप पत्र प्रदर्श क–8)

8– अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त द्वारा घटना को गलत एवं झूंठा बताया गया तथा मुकदमा रंजिशन गलत एवं झूंठा चलाया जाना तथा स्वयं को निर्दोष होना कहा गया है।

9– अभियुक्त पक्ष की तरफ से अपनी प्रतिपरीक्षा साक्ष्य/सफाई में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

10– अभियोजन पक्ष की तरफ से, अपने उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार, पर, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा, पत्रावली पर उपलब्ध कराए गए समस्त दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य से अभियोजन पक्ष की सम्पूर्ण घटना कहानी और अभियुक्त पर लगाया गया प्रश्नगत आरोप, युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध है। ऐसी परिस्थिति में, अभियोजन पक्ष की तरफ से, अभियुक्त को, प्रश्नगत आरोपित आरोप में, दोषसिद्ध करते हुए, दण्डित किए जाने की मांग की गई है।

11– अभियुक्त की तरफ से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा, अभियोजन पक्ष के उपरोक्त तर्को का खण्डन करते हुए, दौरान बहस, मुख्य रूप से इस आशय का तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त को रंजिशन गलत एवं झूठा फंसाया गया है तथा अभियुक्त निर्दोष है और प्रस्तुत मामले की विवेचना निष्पक्ष एवं विधिसम्मत् न होकर, पक्षपातपूर्ण, दूषित, एवं त्रुटिपूर्ण है। अभियोजन साक्षीगण के कथन स्वाभाविक एवं नैसर्गिक नहीं है तथा अभियोजन साक्षी पी0 डब्ल्यू0 1 गुलफिशा ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में समस्त अभियोजन साक्ष्य से अभियोजन पक्ष की सम्पूर्ण घटना कहानी एवं अभियुक्त पर लगाया गया प्रश्नगत आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे सिद्ध नहीं है और अभियुक्त प्रश्नगत आरोपित आरोप में दोषमुक्त होने योग्य है ।

12– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध कराए गए समस्त साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

13– प्रस्तुत मामले में पेश किये गये तर्क के आलोक में यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को, पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये साक्ष्य के माध्यम से युक्तियुक्त सन्देह से परे, सिद्ध कर सका है।

14क– अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०–1 गुलफिशा** को परीक्षित कराया गया है जिसने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि उसकी मां व पिता की मृत्यु हो चुकी है। घटना के समय वह अपने भाई कासिम व भाभी सीबा सलमानी के साथ रहती थी। उसके कंधे से कमर तक अक्सर दर्द बना रहता था। जिसका इलाज

कराने उसका भाई कासिम दिनांक 30.07.2021 को एक गाड़ी बुक कराके ड्राइवर भूरे उर्फ सगीर के साथ उसके गांव लक्ष्मनपुर इटवरिया से लखनऊ दवा इलाज कराने ले गया था वहां डाक्टर नहीं मिले, तो उसे वापस लेकर आ रहे थे तभी बाराबंकी में घाघरा घाट के पास रूके तथा सगीर व उसके भाई कासिम यह कहकर गाड़ी से नीचे उतरे कि गाड़ी पंचर हो गयी और वह लोग गाड़ी देखने लगे और वह घाघरा घाट पुल से नीचे पानी में देख रही थी तभी अचानक कैसे नीचे गिर गयी नहीं पता चला काफी दूर बहने के बाद लोगों ने उसे बाहर निकाला तो उसे वापस घर आने पर लोगों ने बताया की कासिम ने धक्का दे दिया था तब उसने थाने में अपने भाई कासिम के विरूद्ध दरख्वास्त दे दिया था जिस पर उसका मुकदमा लिखा गया जो पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ए–4 पर उसका हस्ताक्षर बना है। प्रमाणित करती हूं। इस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। यही बात उसने दरोगा जी को बताया था।

14–ख बचाव के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रति परीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि उसके भाई ने उसको नदी में धक्का नहीं दिया था वह अपने आप से गिर गयी थी। वह जब भिनगा आयी तो लोगों के कहने पर अपने भाई के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया था। उसे कोई चोट नहीं लगी थी। उसने दरोगा जी को यही बयान दिया था कि उसके भाई ने उसे घाघरा में फेंका नहीं था।

इस प्रकार इस साक्षी ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है। यह साक्षी घटना की मुख्य पीड़ित साक्षी है। इस साक्षी ने अपेन मुख्य परीक्षा में साक्ष्य दिया है कि वह घाघरा घाट पुल से नीचे पानी में देख रही थी तभी अचानक कैसे नीचे गिर गयी नहीं पता चला। काफी दूर बहने के बाद लोगों ने उसे बाहर निकाला तो उसे वापस घर आने पर लोगों ने बताया की कासिम ने धक्का दे दिया था तब उसने थाने में अपने भाई कासिम के विरूद्ध दरख्वास्त दे दिया था जिस पर उसका मुकदमा लिखा गया। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसके भाई ने उसको नदी में धक्का नहीं दिया था वह अपने आप से गिर गयी थी। वह जब भिनगा आयी तो लोगों के कहने पर अपने भाई के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया था। उसे कोई चोट नहीं लगी थी। उसने दरोगा जी को यही बयान दिया था कि उसके भाई ने उसे घाघरा में फेंका नहीं था।

15क– अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०–2 राम विलास** को परीक्षित कराया गया है जिसने **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि घटना वर्ष 2021 की है। घटना सुबह 6 बजे की है। उसके गांव के बगल भैरीकोल गांव के निवासी राम लखन ने बताया कि नदी में कोई चिल्लाता हुआ बहा जा रहा है और कह रहा है कि अल्लाह बचाओ, राम बचाओ तो राम लखन की आवाज पर वह, अरविन्द, पूरनजीत, उदयराज दौड़कर आये और राम लखन के बताने पर घाघरा नदी में बंधी नाव को खोलकर नदी में गये और बह रही लड़की को बचाया और बाहर निकाल कर लाये तब तक गांव के अन्य कई लोग इकट्ठा हो गये उसी में से प्रभा पत्नी अशोक, सीता देवी

पत्नी राजेन्द्र व अन्य दो तीन महिलाओं ने मिलकर उस लड़की के कपड़े बदलवाये और ढांढस बांधते व समझाते हुये उसका नाम पता पूछा। लड़की काफी घबरायी हुयी थी तो लड़की ने अपना नाम गुलफिशा बताया और पता थाना भिनगा जनपद श्रावस्ती बताया। इसके बाद ग्राम प्रधान व अन्य गांव वाले के सूचना देने पर थाना टिकैतनगर की पुलिस भी आयी थी व लड़की को लेकर थाने गयी उसकी डाक्टरी करायी। उसने लड़की से पूछा कि नदी में कैसे गिरी तो उसने बताया कि उसे उसके भाई व उसके दोस्त ने नदी में ढकेल दिया है और उसने कहा कि गाड़ी में उसकी भाभी और उसकी बहन भी थी पुलिस वालों ने उससे पूछतांछ किया था।

15ख– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रति परीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि वह थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है। घटना अगस्त के महीने की है। घटना का दिन व तारीख वह नहीं बता सकता। घाघरा नदी भरी हुयी बह रही थी। घाघरा बहुत गहरी नदी है। घटना वह नहीं जानता है उसने लड़की को बचाया था। घटना सुबह छः बजे की है। दिन निकल रहा था। लड़की भीगी हुयी थी। लड़की ने उसे यह नहीं बताया था कि कितने बजे उसे उसके भाई ने घाघरा में फेका था। अगर किसी व्यक्ति को गहने पानी में फेंका जाये तो अगर उसे तैरना नहीं आता है तो वह फौरन डूब जायेगा लेकिन भगवान ने उस लड़की को बचाया था। घाघरा के किनारे किनारे रास्ता पगडण्डी नहीं है, गांव है उसने लड़की को नाव से निकाला था। हम लोग नाव में चार आदमी साथ में थे। लड़की को निकालने के बाद एक चौहान के घर की औंरते थी उन्होंने लड़की को कपड़े बगैरह पहनाये। उसके गांव से थाना टिकैतनगर आठ–नौ किमी0 की दूरी पर है उसके गांव में पुलिस वाले आये और लड़की को लेकर थाने गये और वे लोग भी अपने साधन से गये थे। थाने पर प्रधान ने फोन किया था। इस समय महिला प्रधान है उनका नाम वह नहीं जानता है उनके पति वहां थे उनका नाम अनिल कुमार हैं उसके सामने कोई लिखा पढ़ी नहीं हुयी थी उससे केवल पूछतांछ हुयी थी। मुकदमा कहां दर्ज हुआ था यह वह नहीं जानता हैं। इस मुकदमें में चार लोग गवाह रखे गये थे फिर कहा पूरा गांव गवाह है उससे विवेचक बयान लेने गये थे उसके सामने दरोगा जी ने और लोगों से बयान लिया था। उसने विवेचक को यह बताया था कि उन चार लोगों ने नाव से लड़की को बचाया है। नदी से उसका गांव एकदम सटा हुआ है। उससे भिनगा की पुलिस ने बयान लिया था। वह पुल पर नहीं था इसलिये वहां के बारे में नहीं बता सकता कि घाघरा के किनारे लोहे की राड वगैरह लगी थी अथवा नहीं। यह कहना गलत है कि उसने गलत बयान दिया है।

इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि घटना अगस्त के महीने की है। घटना का दिन व तारीख वह नहीं बता सकता। घाघरा नदी भरी हुयी बह रही थी। घाघरा बहुत गहरी नदी है। घटना वह नहीं जानता है उसने लड़की को बचाया था। घटना सुबह छः बजे की है। दिन निकल रहा था। लड़की भीगी हुयी थी।

लड़की ने उसे यह नहीं बताया था कि कितने बजे उसे उसके भाई ने घाघरा में फेका था। इस साक्षी द्वारा भी यह साक्ष्य दिया है कि उसे गुलफिशा द्वारा यह नहीं बताया गया कि उसे नदी में उसके भाई ने फेंका था।

16क– अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०–3 भूरे उर्फ इरशाद अहमद** को परीक्षित कराया गया है जिसने **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि घटना आज से लगभग चार साल पहले की है। वह वादिनी मुकदमा गुलफिशा को जानता हूं। ये अभियुक्त कासिम की बहन है। गुलफिशा की दवा कराने के लिये कासिम ने उसकी गाड़ी बुक करायी थी, जिसे लेकर वह लखनऊ गया था। वापस आने पर रास्ते में घाघरा नदी पर उसकी गाड़ी पंचर हो गयी। गाड़ी रोककर उसने दाहिने तरफ लगा दिया और टायर बदलने लगा। सब लोग गाड़ी से नीचे उतर गये थे जब वह टायर बदल चुका था तो सब लोग गाड़ी में बैठने लगे तो कासिम ने कहा कि गुलफिशा कहा गयी तो उस जगह उन लोगों ने एक घंटे तक इधर–उधर ढूढ़ा परन्तु गुलफिशा नहीं मिली। रात के लगभग एक बजे का समय था। नदी में पानी भी काफी ज्यादा था। दूसरे दिन सुबह गुलफिशा ने टिकैत नगर थाने में शिकायत की थी तो थाने टिकैत नगर द्वारा उसके मोहल्ले में सूचना दिया कि गुलफिशा वहां है वह नदी में गिर गयी थी उस गांव के लोगों ने बचाया था। इस घटना के सम्बन्ध में पुलिसवालों ने उसका बयान लिया था।

16ख– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रति परीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि उसकी गाड़ी को कासिम ने बुक कराया था। उस समय कासिम, उनकी दो बहनें और उनकी पत्नी व वह उस गाड़ी में गये थे। कासिम अपनी बहन के इलाज के सिलसिले में उनको लेकर गये थे। डाक्टर नहीं मिले थे हम लोग वापस आ रहे थे। उसकी गाड़ी घाघरा के पुल पर पंचर हो गयी थी। पुल पर ही गाड़ी को दाहिने साइड में खड़ा करके वह टायर बदलने लगा था अगस्त का महीना था। घाघरा नदी पूरी भरी हुयी चल रही थी। गाड़ी जब पंचर हुयी और टायर बदलने लगे तो सारे लोग गाड़ी से उतर गये थे। गाड़ी में बातचीत हो रही थी कि गुलफिशा अपनी शादी गैर बिरादरी में करना चाहती थी। गुलफिशा के मां बाप की मृत्यु हो गयी थी। गाड़ी में कासिम उनकी बीबी व उनकी एक अन्य बहन जो साथ में गयी थी वह समझा रही थी कि गैर बिरादरी में शादी न करो वरना बहुत बदनामी होगी तो वह मानती नहीं थी और बहुत गुस्से में थी। गाड़ी से जब सभी लोग उतरे तो गुलफिशा घाघरा नदी के किनारे चली गयी उसको घाघरा में कासिम व किसी और ने फेका नहीं था। गुलफिशा तैरना नहीं जानती थी अगर गुलफिशा को फेंका जाता तो वह तुरन्त मर जाती और उसके फेफड़े में पानी भर जाता। उसने गुस्से में आकर अपने भाई के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखा दिया है गुलफिशा ने अपनी शादी गैर बिरादरी में कर ली हैं। कासिम को फंसाने के लिये गुलफिशा ने उसके ऊपर दबाव बनाने के लिये यह फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया है।

इस साक्षी को अभियोजन द्वारा घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बताया गया है। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में स्पष्ट कथन किया है कि गाड़ी से जब सभी लोग उतरे तो गुलफिशा घाघरा नदी के किनारे चली गयी उसको घाघरा में कासिम व किसी और ने फेका नहीं था। गुलफिशा तैरना नहीं जानती थी, अगर गुलफिशा को फेंका जाता तो वह तुरन्त मर जाती और उसके फेफड़े में पानी भर जाता। इस साक्षी के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त कासिम द्वारा गुलफिशा को घाघरा नदी में नहीं फेंका गया था।

17क– अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०–4 मुख्तार अहमद** को परीक्षित कराया गया है जिसने **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि दिनांक 01.08.2021 को वह थाना को0 भिनगा में बतौर हे0 मु0 तैनात था। उस दिन वादिनी मुकदमा गुलफिशा पुत्री स्व0 मो0 हफीज निवासी लक्ष्मनपरु इटवरिया थाना को0 भिनगा श्रावस्ती खुद का हस्ताक्षर युक्त एक प्रार्थनापत्र लेकर थाना कार्यालय उपस्थित आयी जिस पर प्रभारी निरीक्षक महोदय के लिखित आदेश पर मु0 अ0 स0 225/2021 अन्तर्गत धारा 307 भा0द0स0 विरूद्व कासिम व कासिम का दोस्त, बोल बोल कर का0 पीयूष कुमार द्वारा कम्प्यूटरीकृत कराया था जिसकी कायमी भी उसने का0 पीयूष कुमार द्वारा बोल–बोल कर रपट नम्बर 60 दिनांक 01.08.2021 समय 20.34 पर कम्प्यूटरीकृत कराया था। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ए–3/1 ता ए–3/3 मूल एफ0आई0आर0 व कागज संख्या ए–4/1 कायमी जी0डी0 को देखकर कहा कि यह दोनों प्रपत्र उसने बोल–बोल कर का0 पीयूष कुमार से कम्प्यूटरीकृत कराया था, जिन्हें वह प्रमाणित करता है जिन पर क्रमशः **प्रदर्श क–2** व **प्रदर्श क–3** अंकित किया गया।

17ख– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रति परीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि वादिनी मुकदमा गुलफिशा ने जो तहरीर थानाध्यक्ष को दी थी थानाध्यक्ष के आदेश के मुताबिक उसने मुकदमा पंजीकृत किया था। शाम का समय था समय ठीक से याद नहीं है। वादिनी मुकदमा तहरीर कहां से लिखवाकर लायी थी इसके विषय में वह नहीं बता सकता। उसने बोल–बोल कर का0 पीयूष से मुकदमा पंजीकृत करवाया था। तहरीर में जो बातें लिखी थी उसी को अक्षरशः उसने बोल–बोल कर लिखाया था। मुकदमें की कापी भी उसने वादिनी को दी थी। घटना का दिन व तारीख वह नहीं बता सकता। वह यह भी नहीं बता सकता है कि वादिनी मुकदमा ने जो तहरीर दिया था उसमें लिखी बातें सही थी अथवा गलत।

यह एक औपचारिक साक्षी है। इसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2 व कायमी जी0 डी0 प्रदर्श क–3 को का0 पीयूष कुमार के द्वारा कम्प्यूटरीकृत करना कहते हुये साबित किया गया है।

18क– अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०–5 एस0 ओ0 राजीव कुमार मिश्रा** को परीक्षित कराया गया है जिसने **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि दिनांक 01.08.2021 को वह थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती में कस्बा चौकी प्रभारी के पद पर तैनात था। उस दिन थाना कोतवाली भिनगा में मुकदमा अपराध संख्या 225/2021 धारा 307 भा0द0स0 विरूद्ध कासिम आदि पंजीकृत होकर विवेचना राजीव कुमार मिश्रा उप निरीक्षक को प्राप्त हुयी। विवेचना ग्रहण करके उसने दिनांक 02.08.2021 को पर्चा न01 किता किया, जिसमें अवलोकन नकल चिक, नकल रपट व जी0डी0 न0 37 दिनांक 31.07.2021 समय 14.49 की जी0डी0 थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी व मेडिकोलीगल केस कर एफ0 आई0 आर0 लेखक हे0 मो0 मुख्तार अहमद का बयान व पीड़िता का बयान 161 सीआर0पी0सी0 अंकित किया। दिनांक 03.08.2021 को पर्चा न02 किता किया, जिसमें पीड़िता के द्वारा दिये गये मेडिकल परीक्षण सम्बन्धी प्रार्थनापत्र का अवलोकन कर सी0डी0 में अंकन किया। दिनांक 18.08.2021 को पर्चान05 किता किया, जिसमें बयान वादिनी गुलफिशा अंकित कर उसके निशानदेही पर बाराबंकी जाकर घटनास्थल का निरीक्षण कर मौके पर नक्शानजरी तैयार की। वादिनी के बताये हुये गांव तिलवारी थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी पहुंचें जहां पर घटना के समय मौजूद व्यक्तियों में से राम विलास यादव, अरविन्द कुमार चौहान, उदयराज व पूरनजीत चौहान तथा घटना के बाद पीड़िता को सम्भालने वाली व देखभाल करने वाली श्रीमती प्रभा, श्रीमती सीता देवी, श्रीमती रेनू, श्रीमती माधुरी जायसवाल का बयान अंकित कर थाना टिकैत नगर जनपद बाराबंकी पहुंचा जहां पर पीड़िता की मजरूबी चिट्ठी बनाने वाले मुंशी का0 रविकान्त पाण्डेय, महिला आरक्षी रीना विश्वकर्मा व शिवानी व एस0आई0 अशोक कुमार वर्मा का बयान अंकित किया। तत्पश्चात सी0एच0सी0 टिकैत नगर पहुंचकर पीड़िता का मेडिकल करने वाले डा0 वीरेन्द्र कुमार का बयान अंकित किया। दिनांक 22.09.2021 को पर्चा न0 8 किता किया, जिसमें अभियुक्त कासिम की गिरफ्तारी कर उसका बयान अंकित कर 14 दिवस के रिमाण्ड की याचना न्यायालय से की। दिनांक 24.09.2021 को पर्चा न0 9 किता किया, जिसमें वादिनी मुकदमा के घर जाकर उसका मजीद बयान अंकित किया। दिनांक 26.09. 2021को पर्चा न0 10 किता किया, जिसमें ग्राम इटवरिया जाकर वादिनी की भाभी शिवा सलमानी व ड्राइवर भूरे उर्फ इरशाद अहमद का बयान अंकित किया। अब तक की तमाम विवेचना, बयान वादिनी, बयान गवाहान व निरीक्षण घटनास्थल के आधार पर अभियुक्त कासिम पुत्र स्व0 हफीज निवासी लक्ष्मनपुर इटवरिया थाना को0 भिनगा जनपद श्रावस्ती के विरूद्ध जुर्म धारा 307 भा0द0स0 का अपराध बखूबी प्रमाणित पाते हुये अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 252/2021 माननीय न्यायालय प्रेषित किया। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ए–5 नक्शा नजरी को देखकर कहा

कि यह नक्शानजरी मेरे द्वारा तैयार किया गया है, जिस पर उसका हस्ताक्षर बना है, जिसे वह प्रमाणित करता है, जिस पर **प्रदर्श क–4** अंकित किया गया। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ए–6/1 छायाप्रति मेडिकोलीगल रिपोर्ट पीड़िता गुलफिशा को देखकर कहा कि यह उसे दौरान विवेचना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र टिकैत नगर से प्राप्त हुयी थी, जिसे वह प्रमाणित करता है जिस पर **प्रदर्श क–5** अंकित किया गया। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ए–9/8 रपट न0 37 थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी, कागज संख्या बी–10/1 मजरूबी चिट्ठी को देखकर कहा कि यह प्रपत्र उसे थाना टिकैत नगर से दौरान विवेचना प्राप्त हुआ था, जिसे वह प्रमाणित करता है जिस पर क्रमशः **प्रदर्श क–6** व **प्रदर्श क–7** अंकित किया गया। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ए–7/1 ता 7/6 आरोप पत्र को देखकर कहा कि यह आरोप पत्र उसके द्वारा तैयार करके माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था,जिस पर उसका हस्ताक्षर बना है, जिसे वह प्रमाणित करता है जिस पर **प्रदर्श क–8** डाला गया।

18ख– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **प्रति परीक्षा** किये जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि इस मुकदमें की विवेचना इनके द्वारा की गयी थी। उसके सामने कोई घटना घटित नहीं हुयी थी। घटनास्थल पर मौके पर वादिनी, वादिनी की भाभी, वादिनी का भाई व एक ड्राइवर था। घटना के 18 दिन बाद उसने पीड़िता का बयान लिया था। घटनास्थल पर घटना के समय वादिनी, वादिनी की भाभी, वादिनी का भाई व एक ड्राइवर ही मौजूद था। अन्य लोगों का बयान उसने दिनांक 18.08.2021 को लिया था। पीड़िता की डाक्टरी सी0एच0सी0 टिकैत नगर में हुयी थी। पीड़िता की डाक्टरी दिनांक 31.07.2021 को हुयी थी। पीड़िता के दाहिने गाल पर खूनी धब्बा था, कोई बाहरी इंजरी नहीं थी। पीड़िता ने बताया था कि उसको उसके भाई ने गिराया था।

यह एक औपचारिक साक्षी है। इसके द्वारा नक्शानजरी प्रदर्श क–4, मेडिकोलीगल रिपोर्ट छायाप्रति पीड़िता गुलशिफा प्रदर्श क–5, नकल रपट प्रदर्श क–6 मजरूबी चिट्ठी प्रदर्श क–7 व आरोप पत्र प्रदर्श क–8 को अपने लेख व हस्ताक्षर में कहते हुये साबित किया गया है।

विधि व्यवस्था **सीताराम सेठ बनाम स्टेट आफ यू0 पी0 2014(85) ए सी सी पेज 182** में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अवधारित किया गया है कि अभियोजन कथानकों को विश्वसनीय साक्षियों से साबित कराने का भार सदैव अभियोजन पक्ष पर रहता है।

अनेकों विधि व्यवस्थाओं में यह भी अवधारित किया गया है कि अभियोजन को अपना वाद खुद साबित करना होता है तथा वह यह आधार नहीं ले सकता कि विपक्षी की प्रतिरक्षा में कमियों के आधार पर यह नहीं का सकता कि अभियोजन कथानक साबित है।

पत्रावली पर पी0 डब्ल्यू0 1 गुलफिशा ने अभियुक्त कासिम द्वारा उसे घाघरा नदी में फेंकने से स्पष्ट इंकार किया गया है। पी0 डब्ल्यू0 2 राम विलास द्वारा भी यह साक्ष्य दिया गया है कि उसे पी0 डब्ल्यू0 1 गुलफिशा/पीड़िता ने यह नहीं बताया था कि उसे अभियुक्त कासिम द्वारा घाघरा नदी में फेंका गया है। पी0 डब्ल्यू0 3 भूरे उर्फ इरशाद अहमद जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, के द्वारा भी अभियुक्त कासिम द्वारा अपनी बहन गुलफिशा को नदी में फेंकने से इंकार किया गया है।

वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है परन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित तथ्य के किसी भी साक्षी द्वारा अभियोजन कथानकों का समर्थन नहीं किया गया है। वर्तमान मुकदमें में पीड़िता गुलफिशा स्वयं एक महत्वपूर्ण साक्षी है जिसने न्यायालय में यह बयान दिया है कि वह स्वयं नदी में जब झांक रही थी तब गिर गयी थी और उसे किसी ने धक्का नहीं दिया था। इसी तथ्य की पुष्टि अन्य साक्षीगण के बयानों से भी होती है।

इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत किये गये उपरोक्त समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर, प्रश्नगत अभियुक्त कासिम के विरूद्ध प्रश्नगत आरोपित आरोप अंतर्गत धारा 307 भा०दं०सं० साबित होना नहीं पाया जाता है, जिसके कारण अभियुक्त कासिम आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा 307 भा०दं०सं० दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **कासिम** को भा०दं०सं० की **धारा 307 भा०दं०सं०** के आरोपित आरोप में, दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है, उसके व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतनामें निरस्त किए जाते हैं तथा उसके प्रतिभूगण को, उनके दायित्वों से, उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा धारा 437ए द०प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रस्तुत जमानतनामे व बंधपत्र अग्रिम 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।

दिनांकः 11.03.2026

(राकेश धर दुबे)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती

निर्णय, आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 11.03.2026

(राकेश धर दुबे)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती